OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE : DELHI.
POLICE HEADQUARTERS, JAI SINGH ROAD, NEW DELHI 110001.
Telephone No. 011-23746100 Extn. 69970.

FOR PUBLICATION IN THE DELHI POLICE GAZETTE :: DELHI

Dated 21/10/2026

No. A/1/3(IV-32)/2025/74085/Prom. Cell/CB-IV/PHQ: **ADMISSION OF NAME TO PROMOTION LIST FOR THE POST OF ASI (EXE.)**: - The name of HC (Exe.) Kuldeep Singh, No. 1042/PCR (PIS No. 28880793) (GN) is admitted to Promotion List for the post of ASI (Exe.) w.e.f. 23.06.2025 in terms of Rule-15 (i) Delhi Police (Promotion & Confirmation) (Amendment) Rules, 2015.

His name will figure at **Sl. No. 304-A** i.e. in between the names of HC (Exe.) Bhupender Singh, No. 377/SB (PIS No. 28881903) (GN) and HC (Exe.) Vinod Kumar, No. 206/W (PIS No. 28880775) (GN) mentioned in this Hdqrs. Notification issued vide No. A/1/3(IV-01)/2025/43858-44016/Prom. Cell/CB-IV/PHQ dated 04.07.2025.

No. A/1/3(IV-32)/2025/74086/Prom. Cell/CB-IV/PHQ: **ADHOC PROMOTION**:- The Commissioner of Police, Delhi is pleased to grant adhoc promotion to HC (Exe.) Kuldeep Singh, No. 1042/PCR (PIS No. 28880793) (GN) to the rank of ASI (Exe.) **with immediate effect** under Rule-19 (i) of the Delhi Police (Promotion & Confirmation), Rules-1980.

He will not be entitled to claim any right for regular appointment or seniority or for appointment to such or any other equivalent post and shall be liable for reversion without any notice and without assigning any reason. The adhoc promotion shall be discontinued from the date when promote is declared medically unfit for promotional training course or he denies to undergo the prescribed training course along-with his batch-mates or he fails in relevant promotional training course or he is placed under suspension or DE is ordered or any criminal case is registered or awarded censure on allegations of moral turpitude or corruption pursuant to major penalty proceedings.

C.G. No. P21 1026-143- 0003

(ARUN K. SHARMA)
ADDL. DY. COMMISSIONER OF POLICE
HEADQUARTER-IV DELHI

No. A/1/3(IV-32)/2025/74087-96/Prom. Cell/CB-IV/PHQ dated Delhi the 21/10/2026

Copy for information & necessary action to: -

1. DCP/PCR, Delhi for information and necessary action. The individual may be informed accordingly
2. DCP/I.T. (PHQ) Delhi.
3. Inspector/Estt. Branch/PHQ for publication in Delhi Police Gazette.
4. Inspector 'P' (AC-III)/PHQ for information and n/a.
5. I/C- Hindi Cell/PHQ to translate the same in Hindi and send to Inspr. Estt./PHQ for publication in Delhi Police Gazette.
6. ACs-R, II & VIII with one (01) spare copy for preparing his personal file.
7. I/C Computer/CB for uploading the same in the website of Delhi Police.

P.T.O

पुलिस आयुक्त का कार्यालय : दिल्ली।
पुलिस मुख्यालय, जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001।
दूरभाष नं. 011-23746100 एक्सटेंशन 69970

दिल्ली पुलिस राजपत्र में प्रकाशनार्थ

दिनांक 21/10/2026

संख्या A/1/3(IV-32)/2025/74085 /Prom. Cell/CB-IV/PHQ: **सहायक उप-निरीक्षक (कार्यकारी) के पद हेतु पदोन्नति सूची में नाम सम्मिलित करना**: - HC (Exe.) कुलदीप सिंह, संख्या 1042/PCR (PIS संख्या 28880793) (GN) का नाम दिल्ली पुलिस (पदोन्नति एवं पुष्टिकरण) (संशोधन) नियम, 2015 के नियम-15(i) के प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 23.06.2025 से सहायक उप-निरीक्षक (कार्यकारी) के पद हेतु पदोन्नति सूची में सम्मिलित किया जाता है।

उनका नाम क्रम संख्या 304-A पर अर्थात् इस मुख्यालय की अधिसूचना संख्या A/1/3(IV-01)/2025 /43858-44016/Prom. Cell/CB-IV/PHQ दिनांक 04.07.2025 में उल्लिखित HC (Exe.) भूपेंद्र सिंह, संख्या 377/SB (PIS संख्या 28881903) (GN) तथा HC (Exe.) विनोद कुमार, संख्या 206/W (PIS संख्या 28880775) (GN) के नामों के मध्य दर्ज किया जाएगा।

संख्या A/1/3(IV-32)/2025/74086 /Prom. Cell/CB-IV/PHQ: **तदर्थ पदोन्नति**: - पुलिस आयुक्त, दिल्ली, HC (Exe.) कुलदीप सिंह, संख्या 1042/PCR (PIS संख्या 28880793) (GN) को दिल्ली पुलिस (पदोन्नति एवं पुष्टिकरण) नियम, 1980 के नियम-19(i) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से सहायक उप-निरीक्षक (कार्यकारी) के पद पर तदर्थ पदोन्नति प्रदान करते हुए प्रसन्नता अनुभव करते हैं।

उन्हें नियमित नियुक्ति अथवा वरिष्ठता या ऐसे किसी अन्य समकक्ष पद पर नियुक्ति का कोई अधिकार दावा करने का हकदार नहीं होगा तथा बिना किसी पूर्व सूचना के और बिना कोई कारण बताए उन्हें प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा। तदर्थ पदोन्नति उस तिथि से समाप्त कर दी जाएगी, जिस तिथि को पदोन्नत कर्मचारी को पदोन्नति प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हेतु चिकित्सकीय रूप से अयोग्य घोषित किया जाता है अथवा वह अपने बैच के अन्य कर्मचारियों के साथ निर्धारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लेने से इनकार करता है अथवा संबंधित पदोन्नति प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अनुत्तीर्ण हो जाता है अथवा उसे निलंबित कर दिया जाता है अथवा उसके विरुद्ध विभागीय जांच (DE) के आदेश जारी किए जाते हैं अथवा कोई आपराधिक मामला दर्ज किया जाता है अथवा बड़ी शास्ति की कार्यवाही के फलस्वरूप नैतिक अधमता या भ्रष्टाचार के आरोपों पर उसकी निंदा (Censure) की जाती है।

सी.जी. संख्या P2। 1026-143 – ०००3

(अरुण के. शर्मा)
अपर पुलिस उपायुक्त
मुख्यालय-IV, दिल्ली

संख्या A/1/3(IV-32)/2025/74087-96/Prom. Cell/CB-IV/PHQ दिनांक दिल्ली, 21/10/2026

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रतिलिपि प्रेषित:

1. पुलिस उपायुक्त/PCR, दिल्ली — सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु। संबंधित कर्मचारी को तदनुसार सूचित किया जाए।
2. पुलिस उपायुक्त/आई.टी. (PHQ), दिल्ली।
3. निरीक्षक/स्थापना शाखा/PHQ — दिल्ली पुलिस राजपत्र में प्रकाशन हेतु।
4. निरीक्षक 'P' (AC-III)/PHQ — सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
5. प्रभारी, हिंदी प्रकोष्ठ/PHQ — उक्त का हिंदी में अनुवाद करके दिल्ली पुलिस राजपत्र में प्रकाशन हेतु निरीक्षक/स्थापना/PHQ को भेजने के लिए।
6. सहायक आयुक्त-R, II एवं VIII — संबंधित कर्मचारी की व्यक्तिगत फाइल तैयार करने हेतु एक (01) अतिरिक्त प्रति सहित।
7. प्रभारी, कंप्यूटर/CB — दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

P.T.O